न्यायालय– सचिव–सह–रिविजन प्राधिकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना

रिविजन वाद संख्या–वन मु०(री०)–03 / 2024

पवन कुमार, गया बनाम बिहार राज्य एवं अन्य

आदेश

यह रिविजनवाद पवन कुमार, पिता–अर्जुन यादव, ग्राम–कन्डी, नवादा थाना–चन्दौती, जिला–गया द्वारा वन अधिहरण अपील वाद संख्या–03 / 2020 में समाहर्त्ता, गया के न्यायालय से दिनांक–24.01.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि दिनांक–10.08.2020 को अधीनस्थ कर्मचारी के साथ विशेष गश्ती के दौरान वनपाल, गया सदर को सूचना मिली कि कन्डी नवादा सुरक्षित वन में बालू का अवैध खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर वे कन्डी नवादा सुरक्षित वन में पहुँचे तो देखा कि दो ट्रैक्टर टेलर पर फुल डाला बालू लोड किया हुआ है एवं एक ट्रैक्टर पर बालू की लोडिंग हो रही है। गश्ती दल को नजदीक आते देखकर मजदूर, चालक तथा स्थल पर उपस्थित मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति भागने लगे जिनका पीछा किया गया लेकिन रात्रि का फायदा उठाकर सभी व्यक्ति भागने में सफल हो गये। घटना स्थल पर फुल डाला बालू लोड किये गए दो ट्रैक्टर ट्रेलर सहित एवं आधा डाला बालू लोड किए गए एक ट्रैक्टर–ट्रेलर पाये गए। उक्त तीनों ट्रैक्टर टेलर को बालू सहित एवं स्थल पर पड़े दो मोटरसाईकिल को अवैध कार्य में संलिप्त पाकर भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन) अधिनियम–1989 की धारा–52 के तहत जप्त कर खटकाचक नर्सरी, माड़नपुर में लाकर सुरक्षित रखा गया। घटना के संबंध में श्री राजू कुमार, वनरक्षी द्वारा जुर्म प्रतिवेदन संख्या–0611, दिनांक 10.08.2020 समर्पित किया गया। वनपाल, गया सदर द्वारा जप्ति सूची एवं अपराध प्रतिवेदन मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गया को भेजा गया।

जुर्म प्रतिवेदन के आधार पर प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया के अधिहरण न्यायालय में अधिहरण वाद सं0–70/2020: सरकार बनाम अरूण कुमार की कार्यवाही प्रारंभ की गई। अधिहरण वाद में सुनवाई पूरी करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया के न्यायालय द्वारा दिनांक–17.11.2020 को आदेश पारित किया गया एवं भारतीय वन (बिहार संशोधन) अधिनियम–1989 की धारा 52(3) के तहत् ट्रैक्टर संख्या–BR02GB/6133, टेलर संख्या–BR02GB/6536 एवं ट्रैक्टर संख्या– BR02AA/5483, टेलर संख्या– BR02AA/5484, चपड़ा–03 (तीन) पीस, प्लास्टिक टप–06 (छः) पीस तथा ट्रैक्टर ट्रेलरों पर लदे बालू एवं मोटर साईकिल हिरो पैशन प्रो–BR0E/4138 एवं BR02Y/2025 को राज्य सरकार के पक्ष में सभी अभिभार से मुक्त करते हुए राज्यसात किया गया। एक अन्य जप्त ट्रैक्टर संख्या–BR02GB/2058, टेलर संख्या–BR02GB/8942 के स्वामी द्वारा सुलह हेतु समर्पित आवेदन को सुलह योग्य पाते हुए इसे स्वीकार कर इनके विरूद्ध संचालित राज्यसात कार्यवाही को बन्द किया गया।

दिनांक–17.11.2020 को प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पवन कुमार द्वारा जिला दण्डाधिकारी, गया के अपीलीय न्यायालय में वन अधिहरण अपील वाद सं0–03/2020 दायर किया गया। उक्त वाद में जिला दण्डाधिकारी, गया के अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक–24.01.2024 को आदेश पारित करते हुए अपील वाद को अस्वीकृत किया गया।

जिला दण्डाधिकारी, गया के अपीलीय न्यायालय के द्वारा दिनांक–24.01.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध पवन कुमार, पिता–अर्जुन यादव, ग्राम–कन्डी, नवादा थाना–चन्दौती, जिला–गया द्वारा सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के रिविजन न्यायालय में रिविजन याचिका दायर की गयी, जिसके आधार पर रिविजन वाद सं0–03/2024: पवन कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

रिविजनकर्त्ता द्वारा दाखिल रिंविजन याचिका, अपीलीय प्राधिकार–सह–जिला दण्डाधिकारी, गया के अपीलीय न्यायालय द्वारा वन अधिहरण अपील वाद सं0–03/2020 में दिनांक–24.01.2024 को पारित आदेश, प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया द्वारा अधिहरण वाद सं0–70/2020; बिहार सरकार बनाम पवन कुमार में दिनांक–17.11.2020 को पारित आदेश, प्रतिवादी द्वारा दाखिल लिखित प्रतिउत्तर, उभय पक्षों द्वारा दाखिल कागजात एवं दोनों पक्षों के बहस से निम्नलिखित बिन्दु स्पष्ट होते हैं:–

1. रिविजनकर्त्ता का ट्रैक्टर–ट्रेलर कण्डी नवादा सुरक्षित वन में उसपर लदे अवैध रूप से उत्खनित वन पदार्थ (बालू) के साथ पकड़े गये। पकड़े जाने के समय ट्रैक्टर–ट्रॉली में बालू खनन एवं परिवहन से संबंधित कोई कागजात उपलब्ध नहीं थे और ना ही वाहन मालिक द्वारा अधहरण वाद की कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत किये गये।

2. रिविजनकर्त्ता द्वारा कोई ऐसा नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर जिला दण्डाधिकारी, गया के अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2024 में कोई हस्तक्षेप किया जा सके।

उक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में रिविजनकर्त्ता के रिविजन याचिका को अस्वीकृत किया जाता है। सभी संबंधितों को सूचित किया जाय।

ह०/–
04.04.2025
(बन्दना प्रेयषी)
सचिव–सह–रिविजनल प्राधिकार

लेखापीत एवं संशोधित

ह0/–
(बन्दना प्रेयषी)

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–03/2024................/प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–................

प्रतिलिपि– श्री पवन कुमार, पिता–श्री अर्जुन यादव/श्री मनीष यादव, पिता– श्री मुंगेश्वर यादव, ग्राम–कंडी नवादा, थाना– चंदौती, जिला– गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–03/2024................/प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक–................

प्रतिलिपि– जिला दण्डाधिकारी, गया/वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी

ज्ञापांकः वन मु0(री0)–03/2024 1641 /प०व०ज०प० पटना–15 दिनांक– 08/4/25

प्रतिलिपि– विभागीय आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/4/25
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी